



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219920
CG-DL-E-12062020-219920

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1675] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942
No. 1675] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2020

का.आ. 1878(अ).—केन्द्रीय केन्द्र सरकार, क्यर उद्योग नियम 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1019(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2019 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

“निदेशक अथवा आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु - सदस्य।”

[फा. सं. 6(5)/2018-क्यर]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना, 25 फरवरी, 2019 को संख्या सा.आ. 1019(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसके उपरांत दिनांक 17 जनवरी, 2020 की सा.आ. संख्या 244(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2020

S.O. 1878(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1019(E), dated the 22nd February 2019, namely :-

In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

“Director or Commissioner, Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Karnataka, Bangalore - Member.”

[F. No. 6(5)/2018-Coir]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1019(E), dated the 25th February, 2019 and subsequently amended, *vide* S.O. number 244(E), dated the 17th January, 2020.